

कार्यालय कलेक्टर जिला जांजगीर-चांपा छ.ग.

// विज्ञापन //

क्रमांक / ६२१७ / स्थापना / २०२३

जांजगीर दिनांक २६/०५/२०२३

छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर का पत्र क्रमांक एफ १३-१/२०२३/आ.प्र/१-३ नवा रायपुर, दिनांक ०३.०५.२०२३ एवं छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन नया रायपुर का आदेश क्रमांक एफ ४-०४/२०२३ सात-२/२ नवा अटल नगर रायपुर दिनांक ०९.०५.२०२३ के निर्देशानुसार कार्यालय कलेक्टर जिला जांजगीर-चांपा के राजस्व विभाग में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु छ.ग. के स्थानीय/मूल निवासी अन्यथियों से सीधी भर्ती हेतु आवेदन दिनांक ०९.०६.२०२३ संध्या ०५.३० बजे तक निर्धारित प्रारूप में पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आमंत्रित किये जाते हैं :—

क्रमांक	पदनाम वेतनमान	आरक्षण की स्थिति														महा योग						
		अनुजाति				अनुजनजाति				अ.पि.व.				अनारक्षित								
		मुक्त	महिला	संपूर्ण	दिव्यांग	योग	मुक्त	महिला	संपूर्ण	दिव्यांग	योग	मुक्त	महिला	संपूर्ण	दिव्यांग	योग						
१	सहायक ग्रेड-०३ ५२००-२०२०० लेवल-०४	५	२	१	—	८	—	१	—	—	—	१	—	—	—	—	५	६	२	१ (HH,LV,OL)	१४	२३
२	स्टेनो टायपिस्ट ५२००-२०२०० लेवल-०४	१	—	—	—	१	१	—	—	—	—	१	=	—	—	—	४	१	—	—	५	७
३	वाहन चालक ५२००-२०२०० लेवल-०४	—	—	—	—	—	१	—	—	—	—	१	—	—	—	—	२	—	—	—	२	३
४	दफ्तरी ४७५०-७४४० लेवल-०२	—	—	—	—	—	१	—	—	—	—	१	—	—	—	—	—	—	—	—	—	१
५	भूत्य ४७५०-७४४० लेवल-०१	—	—	—	—	—	१	१	—	—	—	२	—	—	—	—	१०	—	२	१ (HH,LV,OA)	१३	१५
६	अर्दली ४७५०-७४४० लेवल-०१	१	—	—	—	१	१	—	—	—	—	१	—	—	—	—	—	—	—	—	—	२
७	चौकीदार ४७५०-७४४० लेवल-०१	—	—	—	—	—	१	—	—	—	—	१	—	—	—	—	—	—	—	—	—	१
८	प्रोसेस सर्वर ४७५०-७४४० लेवल-०१	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	३	—	—	—	३	३
महायोग—																	५५					

- रिक्त पदों की संख्या में कमी/वृद्धि हो सकती है।
- महिला या भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार नहीं मिलने पर उसी प्रवर्ग के पुरुष उम्मीदवारों में से चयन किया जाएगा।

शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यताएँ:—

उपरोक्त पद हेतु आवश्यक शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यताएँ निम्नानुसार होंगी :—

१

त्रिवेदीयक ग्रेड-03 पर हेतु शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हताएँ:-

- मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण।

अथवा

पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय के स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण।

- किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ड्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय सटिफिकेट। इस हेतु निम्नलिखित संस्थाओं द्वारा जारी कम्प्यूटर विषय में परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र मान्य होंगे।

- (अ) मान्यता प्राप्त आई.टी.आई. से कम्प्यूटर आपरेटर एण्ड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट व्यवसाय में एक वर्षीय सटिफिकेट

अथवा

- (ब) मान्यता प्राप्त बोर्ड आफ टेक्नीकल एजुकेशन/राज्य तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया गया कम्प्यूटर सार्टेस/इंफारमेशन टेक्नालॉजी/मार्डन आफिस मैनेजमेंट का डिप्लोमा(2 वर्ष से अन्यून)

अथवा

- (स) वैधानिक रूप से गठित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डीम्ड यूनिवर्सिटी/मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त कम्प्यूटर सार्टेस/इंफारमेशन टेक्नालॉजी/कम्प्यूटर एप्लीकेशन में पी.जी. डिप्लोमा, स्नातक अथवा स्नात्कोत्तर उपाधि।

अथवा

- (द) DOEACC सोसाईटी, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त विभिन्न डिप्लोमा।

3. कम्प्यूटर टायपिंग में हिन्दी टाइप लेखन में 5000 (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटे की डाटाएन्ड्री की गति होनी चाहिए (गति के संबंध में कम्प्यूटर कौशल परीक्षा ली जाएगी)

स्टेनो टायपिस्ट पद हेतु शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य अर्हताएँ:-

- मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण।

अथवा

पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय के स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण।

2. हिन्दी शीघ्रलेखन में 60 शब्द प्रतिमिनट की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी)

3. कम्प्यूटर टायपिंग में हिन्दी टाइप लेखन में 5000 (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटे की डाटाएन्ड्री की गति होनी चाहिए (गति के संबंध में कम्प्यूटर कौशल परीक्षा ली जाएगी) का प्रमाण पत्र।

वाहन चालक पद हेतु शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य अर्हताएँ:-

- (अ) किसी मान्यता प्राप्त मंडल/संस्था से माध्यमिक शाला परीक्षा (मिडिल स्कूल परीक्षा) उत्तीर्ण होना चाहिए।

- (ब) हल्के वाहन चलाने का वैध स्थायी लायसेंस होना चाहिए।

जो उम्मीदवार जिला समतुल्यता प्रमाण पत्र परीक्षा (कक्षा आठवीं) के प्रमाण पत्र के साथ आवेदन पत्र प्रेषित करेंगे, उन उम्मीदवारों को एक शपथ पत्र पेश करना अनिवार्य होगा कि उन्होंने समतुल्यता प्रमाण पत्र (कक्षा आठवीं) परीक्षा देने के पूर्व वर्षों में कक्षा आठवीं की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है। यदि इस संबंध में कार्यालय द्वारा छानबीन एवं जांच में यह पुष्टि होती है कि संबंधित उम्मीदवार द्वारा पूर्व वर्षों में आठवीं-कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण होते हुये भी समतुल्यता प्रमाण पत्र परीक्षा (कक्षा आठवीं) के अनुसार इस पद के लिए आवेदन पत्र प्रेषित किया गया है, तो ऐसी स्थिति में इनका आवेदन पत्र/नियुक्ति आदेश निरस्त करते हुये दण्डात्मक कार्यवाही भी की जावेगी।

दफतरी, भूत्य, अर्दली, चौकीदार, एवं प्रोसेस सर्वर पद हेतु शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य अर्हताएँ:-

- (अ) किसी मान्यता प्राप्त मंडल/संस्था से पांचवीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

जो उम्मीदवार जिला समतुल्यता प्रमाण पत्र परीक्षा (कक्षा पांचवीं) के प्रमाण पत्र के साथ आवेदन पत्र प्रेषित करेंगे, उन उम्मीदवारों को एक शपथ पत्र पेश करना अनिवार्य होगा कि उन्होंने समतुल्यता प्रमाण पत्र (कक्षा पांचवीं) परीक्षा देने के पूर्व वर्षों में कक्षा पांचवीं की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है। यदि इस संबंध में कार्यालय द्वारा छानबीन एवं जांच में यह पुष्टि होती है कि संबंधित उम्मीदवार द्वारा पूर्व वर्षों में पांचवीं-कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण होते हुये भी समतुल्यता प्रमाण पत्र परीक्षा (कक्षा पांचवीं) के अनुसार इस पद के लिए आवेदन पत्र प्रेषित

किया गया है, तो ऐसी स्थिति में इनका आवेदन पत्र/नियुक्ति आदेश निरस्त करते हुये दण्डात्मक कार्यवाही भी की जावेगी।

एवं शर्तः—

छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के क. एफ 9-1/2008/1-3 रायपुर दिनांक 01 फरवरी 2013 एवं छ.ग. शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के परिपत्र क. एफ-2-19/2013/सात-2 रायपुर दिनांक 27 जून 2013 के अनुसार शैक्षणिक अर्हता संबंधी सेवा भर्ती नियमों में संशोधन हेतु दिये गये निर्देशानुसार समस्त प्रशासकीय विभागों द्वारा लिये गये अंतिम निर्णय संदर्भित भर्ती में पालनीय होंगे।

उपरोक्त पद के चयन हेतु पात्र होने के लिये अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्ते पूरी करनी होगी अर्थात्—

(1) आयु—

- (क). उम्मीदवार को दिनांक 01.01.2023 को न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष की होनी चाहिए। छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग रायपुर द्वारा अपने पत्र दिनांक 17.12.2015 के अनुसार कैलेण्डर वर्ष 2023 की समाप्ति तक के लिये छ.ग. के मूल निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 05 वर्ष की छुट प्रदान की गई हैं।
- (ख). यदि अभ्यर्थी, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग का हो तो उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 5 (पांच) वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
- (ग). छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम 1997 के प्रावधानों के अनुसार महिला उम्मीदवारों के लिये अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
- (घ). उन अभ्यर्थियों के संबंध में भी जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हो अथवा रह चुके हो नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुये उच्चतर आयु सीमा में छुट दी जायेगी :—
- (I) ऐसी अभ्यर्थी जो स्थायी/अस्थायी शासकीय सेवक हो 43 वर्ष से अधिक आयु का न हों।
- (II) ऐसी अभ्यर्थी जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो तथा किसी अन्य पद के लिए आवेदन कर रहा हो, 43 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यह रियायत आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वो कर्मचारियों कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समिति में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी।
- (III) ऐसी अभ्यर्थी जो “छंटनी किया गया शासकीय सेवक” हो उसे अपनी आयु में से उनके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 07 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं की योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, शर्ते इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से 03 वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरणः—

शब्द “छंटनी” किये गये शासकीय सेवक से द्योतक है ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की या किन्हीं भी संघटक इकाइयों की अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम 06 माह की कालावधि तक निरंतर हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक 03 वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किए जाने के कारण सेवा मुक्त किया गया।

(IV) ऐसा अभ्यर्थी, जो भूतपूर्व सैनिक हो उसे अपनी आयु में उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, बशर्ते इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरणः—

शब्द “भूतपूर्व सैनिक” से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम ३ माह की अवधि तक निरन्तर नियोजित रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्यिता इकाई की सिफारिशों के फलस्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य रूप से कमी जाने के कारण छंटनी किया गया हो अथवा जिसे अतिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया हो :—

- ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हे समय पूर्व सेवा निवृत्ति रियायतों (मस्टरिक आउट कन्सेशन) के अधीन मुक्त कर दिया गया हो,
- ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हे दुबारा नामांकित किया गया हो और जिन्हे :—
 - अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर

2

(ख) नामांकन की शर्तें पूर्ण हो जाने पर सेवा मुक्त कर दिया गया हो।

3. मद्रास सिविल यूनिट के भूतपूर्व कार्मिक।
4. उनकी संविदा पूरी होने पर सेवा मुक्त किये गये अधिकारी (सैनिक तथा सिविल) (जिसमें अल्पावधि सेवा के नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल है।)
5. अवकाश रिक्तियों पर छ: माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किये गये अधिकारी।
6. ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हे अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया है।
7. ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हे इस आधार पर सेवा मुक्त किया गया हो कि अब वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं हैं।
8. ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हे गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो।

(V) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग विकास विभाग के अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अधीन पुरस्कृत दम्पतियों के संवर्ण पति/पत्नी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 (पांच) वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(VI) शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान एवं महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान प्राप्त युवा अभ्यर्थियों के संबंध में भी उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(VII) छत्तीसगढ़ राज्य के स्थायी/अस्थायी कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगमों/मंडलो आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 43 वर्ष रहेगी।

(VIII) स्वयं सेवी नगर सैनिकों तथा नगर सेना के नान—कमीशन्ड अधिकारियों के संबंध में उनके द्वारा इस प्रकार की गई नगर सेवा की कालावधि के लिये उच्चतर आयु सीमा में 8 वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए छूट दी जावेगी, किंतु किसी भी दशा में उनकी आयु 43 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

टीप:- (1) उपरोक्त खण्ड (iv) के उपखण्ड 1 एवं 2 में उल्लेखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन जिन अभ्यर्थियों को परीक्षा/चयन में प्रवेश दिया गया हो वे यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् या तो परीक्षा/चयन के पूर्व या उसके पश्चात् सेवा से त्याग पत्र दे देते हैं तो वे नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। तथापि यदि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात् उनकी सेवा अथवा पद से छंटनी कर दी जाती हो तो वे पात्र बने रहेंगे।

(2) किसी भी अन्य मामले में आयु सीमाएं शिथिल नहीं की जायेगी, विभागीय अभ्यर्थियों को परीक्षा/चयन हेतु उपस्थित होने के लिये नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अभिप्राप्त करनी होगी।

आयु के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय—समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।

विधवा परित्याक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिए उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट होगी।

छ.ग.शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क. एफ-3-2/2002/1-3/दिनांक 30.01.2012 के अनुसार संविदा पर नियुक्ति अधिकतम आयु सीमा में उतने वर्ष छूट दी जावेगी जितने वर्ष उसने संविदा के रूप सेवा की है। यह छूट अधिकतम 43 वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी।

छ.ग.शासन विभाग के पत्र क. एफ-3/2002/1/3/दिनांक 15.06.2010 के द्वारा जारी किये गये निर्देश के पैरा (3) के अनुसार छ.ग. राज्य के स्थानीय निवासी आवेदकों के लिए अधिकतम आयु 43 वर्ष होगी परन्तु उक्त परिपत्र के पैरा (5) के अनुसार अन्य विशेष वर्ग जैसे छ.ग. के निवासी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर कीमिलेयर) महिला आदि के लिये अधिकतम आयु सीमा में राज्य शासन द्वारा जो छूट दी गई है। वे छूट यथावत लागू रहेगी तथा सामान्य प्रशासन विभाग आयु के संबंध में समय—समय पर जारी निर्देशों के आधार पर उम्मीदवारों को आयु में दी जाने वाली सभी प्रकार की छूटों को समिलित करने के बाद भी शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी चाहिये।

(ङ) सभी प्रकार की आयु में छुटों में अधिक लाभकारी वाली एक ही छूट मिलेगी। यदि कोई आवेदक एक से अधिक छुटों का आधार रखता है, तो उसे आयु सीमा में सर्वाधिक (अधिकतम) लाभ वाले किसी एक आधार के लिए देय छूट ही मिलेगी। उल्लेखित उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता तत्संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही दी जायेगी।

2

पात्रता:-

1. आवेदक को छ.ग. का मूल निवासी का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य होगा।
2. आवेदक को छ.ग. राज्य में किसी भी रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।
3. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों से सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
4. छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 13-4/2006/आ.प्र./1-3 दिनांक 29.06.2013 के कण्डिका 6 (2) के अनुसार “आरक्षित पद नियुक्ति के उपरांत आवेदक के उपर्युक्त अनुक्रम में निर्धारित शपथ पत्र प्राप्त किया जायेगा, जिसमें प्रमाण पत्र गलत अथवा कपट पूर्वक अभिप्राप्त करने की बात प्रमाणित होने की स्थिति में प्रदत्त लाभ एवं सुविधाओं पर व्यय की गई राशि भू-राजस्व की भाँति वसूल किये जाने से सहमति एवं प्रवृत्त कानूनों के तहत दण्ड का भागी होने संबंधी आशय निहित होगा।
5. शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों के लिये नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
6. आयु के संबंध में शैक्षणिक प्रमाण पत्र अथवा शासकीय कार्यालयों द्वारा जारी प्रमाण पत्र में उल्लेखित जन्म तिथि ही मान्य होगी।
7. जिन आवेदकों को उनके शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में प्राप्तांक/प्रतिशत के बजाय CGPA (Grade) प्रदान किया गया है, उनके प्रतिशत ज्ञात करने हेतु केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल के निर्धारित नियमानुसार गणना की जावेगी।
8. आवेदन करने के पहले विज्ञापन में प्रकाशित आवश्यक एवं वांछित शैक्षणिक अर्हताओं एवं अन्य अर्हताओं के अनुरूप अपनी अर्हता स्वयं सुनिश्चित कर लेवे एवं अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने की स्थिति से पूर्णतया संतुष्ट होने पर ही आवेदक अपना आवेदन करें।
9. चयन उपरांत यदि कोई जानकारी असत्य पाई जाती है तो नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी तथा संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
10. अपूर्ण अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जायेंगे। ऐसे आवेदन पत्रों के संबंध में कोई अलग से सूचना नहीं दी जावेगी।
11. समान अंक प्राप्त करने पर अभ्यर्थी की जन्मतिथि को आधार मानकर वरीयता तय की जावेगी एवं अधिक उम्र वाले उम्मीदवारों का चयन किया जावेगा।

(3) अपात्रता:-

छ.ग. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के नियम 6 के अनुसार नियुक्ति के लिये वह उम्मीदवार अपात्र होगा जो निम्न में से कोई हो—

1. पुरुष उम्मीदवार जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो। उसी प्रकार महिला उम्मीदवार जिसने ऐसे किसी व्यक्ति से विवाह किया जो जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है। अर्थात् यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाये कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।
2. जो शाररिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं याये जाने पर।
3. जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो।
4. जिसमें विवाह के लिये नियत की कई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो।
5. जिसकी 2 से अधिक संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ है।
6. जो किसी अपराधिक प्रकरण में सजा यापता हो।

(4) चयन प्रक्रिया:-

(1) सहायक वर्ग-03 के पद हेतु पात्र उम्मीदवारों के लिए निर्धारित 100 अंक होगें जिसमें—

- (अ) निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत का 70 प्रतिशत सारांश अंक।
(ब) कौशल परीक्षा में अधिकतम 30 अंक।

(2) स्टेनो टायपिस्ट के पद हेतु पात्र उम्मीदवारों के लिए निर्धारित 100 अंक होगें जिसमें—

- (अ) निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत का 70 प्रतिशत सारांश अंक।



- (ब) कौशल परीक्षा में अधिकतम 30 अंक।
- (2) वाहन चालक के पद हेतु पात्र उम्मीदवारों के लिये कुल निर्धारित 100 अंक होंगे जिसमें—
 (अ) निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत का 70 प्रतिशत सारांश अंक।
 (ब) वाहन चालक से संबंधित कौशल परीक्षा में अधिकतम 30 अंक।
- (3) दफतरी, अर्दली, चौकीदार, भूत्य एवं प्रोसेस सर्वर के पद हेतु पात्र उम्मीदवारों के लिये कुल निर्धारित 100 अंक होंगे जिसमें—
 (अ) निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत का 80 प्रतिशत सारांश अंक।
 (ब) लिखित परीक्षा में अधिकतम 20 अंक।

जिन आवेदकों को छ.ग. शिक्षा विभाग द्वारा ली जाने वाली 5वीं या 8वीं परीक्षा में प्राप्तांकों के प्रतिशत के स्थान पर ग्रेड निर्धारित है। उन आवेदकों को अपना ग्रेड आवेदन करते समय डालना होगा। ग्रेड से प्रतिशत की गणना निम्न पद्धति से की जावेगी।

क्र	ग्रेड	अधिकतम निर्धारित प्रतिशत
1	A+	91–100 प्रतिशत
2	A	81–90 प्रतिशत
3	B	71–80 प्रतिशत
4	C	51–70 प्रतिशत

टीप:- शैक्षणिक संस्थान द्वारा निर्धारित ग्रेडिंग का प्रतिशत प्रमाण पत्र संलग्न करें।

- (4) सहायक ग्रेड—03, स्टेनोटाइपिस्ट, वाहन चालक, दफतरी, अर्दली, भूत्य, चौकीदार एवं प्रोसेस सर्वर पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक प्रतिशत के शारांश अंक के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी तथा संवर्गवार 01 पद के विरुद्ध 10 उम्मीदवार को कौशल/लिखित परीक्षा के लिए इस वरीयता सूची के आधार पर बुलाया जावेगा।
- (5) कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- (6) आवेदन पत्र पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम स्वीकार किये जायेगे। अन्य माध्यमों से प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेगे।
- (7) विज्ञापन संबंधित समस्त जानकारी एवं आवेदन का प्रारूप कार्यालय का सूचना पटल पर एवं जिले के अधिकारी वेबसाइट www.janjgir-champa.nic.in में अवलोकन करें एवं भर्ती संबंधी अन्य जानकारी नियमित रूप से वेबसाइट में अवलोड की जावेगी।
- (9) सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के नियम लागू होगी।
- (10) उपरोक्त सभी नियुक्ति एवं चयन प्रक्रियायें माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के एस.एल.पी.(सी) क्रमांक 19668/2022 के अंतिम आदेश के अध्याधीन मान्य होगी।
- (11) समस्त पदों के लिये चयन सूची जारी होने के पश्चात् एवं नियुक्ति आदेश के समय समस्त प्रकार के मूल प्रमाण पत्र एवं स्वयं सत्यापित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त कर दी जावेगी।
- (12) चयनित उम्मीदवार का पुलिस वेरीफिकेशन कराने एवं चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही सेवा में लिया जावेगा। अयोग्य प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियुक्ति निरस्त की जाएगी।
- (13) चयनित अभियार्थी को छ.ग. शासन विता विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर, अटल नगर के वित्त निर्देश 21/2020 एवं परिपत्र क्रमांक/372/260/वि/नि/चार, 2020 दिनांक 29.07.2020 में प्रावधान अनुसार 03 वर्ष की परीविक्षावधि में उन्हें निम्नानुसार स्टायपेण्ड देय होगा।
- प्रथम वर्ष — पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70 प्रतिशत
 द्वितीय वर्ष — पद के वेतनमान के न्यूनतम का 80 प्रतिशत
 तृतीय वर्ष — पद के वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत
 परन्तु परीविक्षावधि में स्टायपेण्ड के साथ अन्य भत्ते कार्यरत कर्मचारियों की तरह प्राप्त होंगे।

१

- (14) आवेदक, अपने सभी प्रमाण पत्रों एवं फोटो की स्वयं सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करे।
- (15) आवेदन पत्र के लिफाफे में आवेदित पद का नाम उल्लेखित करना अनिवार्य है एवं दो सफेद लिफाफे जिसमें 10/- रु टिकट चस्पा कर आवेदन के साथ संलग्न करें।
- (16) प्रत्येक पद के लिये पृथक-पृथक आवेदन करना अनिवार्य है।
- (17) आवेदन पत्र कार्यालय कलेक्टर जिला जांजगीर-चांपा छ.ग. के नाम से पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन दिनांक 09.06.2023 की संध्या 5:30 बजे तक स्वीकार किया जावेगा। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।
- (18) नियुक्ति प्रक्रिया एवं चयन के संबंध में कलेक्टर जिला जांजगीर-चांपा का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।



कलेक्टर
जांजगीर-चांपा, छ.ग.

पृ.क्र./२६१८ /स्थापना/2023
प्रतिलिपि:-

जांजगीर दिनांक २६/०५/2023

1. सचिव, छ.ग. शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. आयुक्त बिलासपुर संभाग बिलासपुर की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
3. संचालक, जनसंपर्क विभाग छ.ग.रायपुर की ओर सूचनार्थ। कृपया ३ राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु। प्रकाशन उपरांत प्रकाशन की प्रति से इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।
4. सहायक संचालक जनसंपर्क विभाग जांजगीर-चांपा को सूचनार्थ एवं दैनिक समाचार पत्रों में निशुल्क प्रकाशनार्थ प्रेषित।
5. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी जिला जांजगीर-चांपा को सूचनार्थ। उपरोक्त विज्ञापन को जिले के बेबसाईड cg.nic.in/janjgir-champa पर इंद्राज करने का कष्ट करें।
6. जिला रोजगार अधिकारी जांजगीर-चांपा को सूचनार्थ एवं सूचना पटल में चस्पा करने का कष्ट करें।
7. अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सर्व.....जिला जांजगीर-चांपा को सूचनार्थ एवं सूचना पटल में चस्पा करना सुनिश्चित करें।
8. तहसीलदार सर्वजिला जांजगीर-चांपा को सूचनार्थ एवं सूचना पटल में चस्पा करना सुनिश्चित करें।



कलेक्टर
जांजगीर-चांपा, छ.ग.

कार्यालय कलेक्टर जिला, जांजगीर-चांपा

सहायक ग्रेड-03, स्टेनो टायपिस्ट, दफ्तरी, भूत्य, अर्दली, चौकीदार, प्रोसेस सर्वर एवं वाहन चालक पद पर भर्ती हेतु
आवेदन प्रारूप

प्रति,

कलेक्टर,
जिला—जांजगीर—चांपा, छ.ग.

अभ्यर्थी का
स्व-प्रमाणित
फोटो चिपकाये

आवेदित पद का नाम
.....

- 1 आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में)
लिंग (महिला / पुरुष).....

2 पिता / पति का नाम

3 जन्म तिथि (अ) अंको में

(ब) शब्दो में.....

(स) दिनांक 01.01.2023 को आयु वर्ष माह दिन

4 वर्ग (सामान्य / अ.जा. / अ.ज.जा. / अ.पि.व.).....

4 पत्र व्यवहार का वर्तमान पता (हिन्दी में).....
.....
.....

5 स्थायी पता (हिन्दी में).....
.....
.....

6 मोबाइल नं.....

7 रोजगार कार्यालय का नाम.....
पंजीयन क्रमांक तथा दिनांक

8 शैक्षणिक योग्यता :—

9. वैवाहिक स्थिति

क. विवाहित / अविवाहित

- ख. विवाहित होने पर निम्न जानकारी भरी जावे.....
- विवाह का दिनांक
- ग. परिवार के संतान का विवरण
- | | | | |
|-----|-----|--------------|-------------|
| कं. | नाम | पुत्र/पुत्री | जन्म दिनांक |
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
10. क्या आप निःशक्त है (हाँ/नहीं)
यदि हाँ तो (1) निःशक्ता का प्रकार.....(2) निःशक्ता का प्रतिशत.....
(3) प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी या जिला मेडिकल बोर्ड का नाम.....
(4) जारी निःशक्ता प्रमाण पत्र का क्रमांक एवं दिनांक
11. क्या आप भूतपूर्व सैनिक है (हाँ/नहीं).....
यदि हाँ तो (1) भारतीय सेना का नाम जिसमें आपने कार्य किया है।
(2) कार्यवधिसेतक (3) पद का नामजिसमें कार्य किया है.....
12. क्या आपके विरुद्ध किसी पुलिस थाना या न्यायालय में प्रकरण दर्ज है (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो प्रकरण का सम्पूर्ण विवरण.....

संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची ।

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....
- 6.....
- 7.....
- 8.....

आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर

घोषणा पत्र

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त समस्त जानकारियां पूर्ण एवं सत्य हैं, तथा किसी भी स्तर पर असत्य पाये जाने पर मेरी सेवाएं समाप्त कर मेरे विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही नियोक्ता द्वारा की जा सकती है।

दिनांक.....

स्थान.....

आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर

घोषणा पत्र

मैं

आत्मज/आत्मज/पति श्री—

द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त पत्र में आवेदन पत्र में दी गई जानकारी मेरे सर्वत्तम विश्वास और ज्ञान के अनुसार सत्य एवं पूर्ण है। मेरे द्वारा आवेदन पत्र में दी गई जानकारी, चयन के पूर्व या उसके बाद गलत अथवा असत्य पाये जाने पर मेरी उम्मीदवारी निरस्त हो जायेगी। यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा तथ्य छुपाये जाने अथवा गलत तथ्य प्रस्तुत करने की स्थिति में या नियुक्ति हेतु किसी प्रकार की अपात्रता का प्रमाण मिलने पर मेरा चयन/नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी तथा नियुक्ति संबंधी मेरे सभी दावे समाप्त हो जायेगा।

आवेदन के हस्ताक्षर

दिनांक:—.....

नाम:—.....

स्थान:—.....

मोबाईल नं.